

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 भाद्रपद 4, 1947 शक सम्वत्

> विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश (संसदीय अनुभाग)

संख्या 1806 / वि०स० / संसदीय / 71(सं)-2025 लखनऊ, 13 अगस्त, 2025

> अधिसूचना प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2025 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 13 अगस्त, 2025 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन)

विधेयक. 2025

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2025 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2004 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा 4 में, उपधारा (3) में, खण्ड (ग) में, परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्—

"परन्तु यह और कि ऊर्जा क्षेत्र में कार्य निष्पादन के मानदण्ड के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025—2026 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त वार्षिक ऋण सीमा उपलब्ध होगी।"

उद्देश्य और कारण

राजकोषीय स्थायित्व और संपोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करके राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करने और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग में महत्तर पारदर्षिता के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्ध द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उत्तरदायित्व की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 अधिनियमित किया गया है।

2—व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या—40(1) / पी0एफ0एस0 / 2025—26, दिनाँक 4 अप्रैल, 2025 में यह उल्लेख किया गया है कि ऊर्जा क्षेत्र में कार्य निष्पादन के मानदण्ड के आधार पर राज्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त वार्षिक ऋण सीमा के अनुमोदन को वित्तीय वर्ष 2025—2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अतएव, उत्तर प्रदेश राजकोषीय और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड—ग का संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया जाता है।

> सुरेश कुमार खन्ना मंत्री, वित्त।

आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 203/XC-S-1-25-18S-2025 Dated Lucknow, August 26, 2025

NOTIFICATION MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva aur Budget Prabandh (Sanshodhan) Vidheyak, 2025" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 13, 2025.

THE UTTAR PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2025

Α

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

- 1. This Act may be called the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Short title Management (Amendment) Act, 2025.
- 2. In Section 4 of the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Amendment of Management Act, 2004, in sub-section (3), in clause (c), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

Section 4 of U.P. Act no. 5 of 2004

"Provided further that an additional annual loan limit of 0.50 percent of Gross State Domestic Product (GSDP) will be available in the financial year 2025-2026 based on the performance criteria in the energy sector."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 (U.P. Act No. 5 of 2004) has been enacted to provide for the responsibility of the State Government to ensure fiscal stability and sustainability and to enhance the scope for improving social and physical infrastructure and human development by achieving sufficient revenue surplus, reducing fiscal deficit and removing impediments to the effective conduct of fiscal policy and prudent debt management through limits on State Government borrowings, Government guarantees, debt and deficit, greater transparency in fiscal operations of the State Government and use of a medium term fiscal framework.

2. In the letter No. 40(1)/PF-S/2025-26, Dated April 4, 2025 of the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India, it has been mentioned on the basis of the criteria of performance in the energy sector, the approval of additional annual loan limit of 0.50 percent of the Gross State Domestic Product (GSDP) to the State has been extended till the financial year 2025-2026. Therefore, it has been decided to amend clause (c) of sub-section (3) of Section 4 of the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004.

The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2025 is introduced accordingly.

SURESH KUMAR KHANNA

Mantri,

Vitt.

By order,

J. P. SINGH-II,

Pramukh Sachiv.